न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 95/2022

1 सुभाष पुत्र मालीसम जाति जाट निवासी गोदारा का बास तन भोड़की तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 उमराव पुत्री मालीराम पत्नी शिवप्रसाद बुगालिया जाति जाट निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2 रामनिवास पुत्र मालीराम।
3 कैलाश पुत्र मालीराम समस्त जाति जाट निवासीगण गोदारा का बास तन भोड़की तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक
14.03.2022 अदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
मुकदमा उनवानी उमराव आदि बनाम सुभाष आदि
मुकदमा नम्बर 76/2022 प्रकरण अन्तर्गत धारा 212
आर.टी.एक्ट 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी
झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विरेन्द्र सिगड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विधाधर जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 6-11-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 76/2022 में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम गोदारो का बास पटवार हल्का भोड़की तहत तहसील गुढ़ागौड़जी में भूमि खसरा नम्बर 1132 रकबा 0.8500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1222 रकबा 1.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1254 रकबा 0.7600 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 3585/1219 रकबा 0.1200 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.1800 हैक्टेयर व भूमि खसरा नम्बर 1213 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1214 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1219 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.22 हैक्टेयर स्थित है तथा राजस्व ग्राम हुक्मपुरा पटवार हल्का बामलास तहत तहसील गुढ़ागौड़जी में वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 5.49 हैक्टेयर अवस्थित है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने उक्त जमीन के बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसके साथ उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय ने दिनांक 14.03.2022 को अन्तरिम एकपक्षीय निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया है। इससे. व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 भू–माफिया व्यक्ति है जो प्रशासन से मिलकर ऐसी जमीन पर काबिज लोगो से रूपये ऐठने के लिए व पारिवारिक दबाव इस प्रकार के आलौच्य निर्णय करवाते है इस कारण रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का उक्त जमीन से कोई लेना देना नही है। रेस्पोडेंट संख्या 2 ग्राम बामलास में दत्तक पुत्र के रूप मे काबिज है व रेस्पोडेंट संख्या 1 बुगाला में काबिज है इस कारण ठस जमीन से कोई लेना देना नही है। जमीन पर अपीलांट रिहायश करते है तथा काबिज है। रेस्पोडेंट संख्या 1,2 का उक्त जमीन पर कोई कब्जा काश्त नही है जबकि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 का उक्त जमीन पर कब्जा काश्त है इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का प्रथम दृष्टया मामला नही है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी अपीलांट के पक्ष मे है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष मे नही है इस कारण आलौच्य निर्णय खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना मुताबिक कानून नही की है। आलौच्य निर्णय तर्क एवं निष्कर्ष सहित स्पष्ट नही है विचारण न्यायालय के समक्ष बेदखली का अपीलांट के विरूद्ध कोई दावा नही। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का उक्त जमीन कर कब्जा नही है कब्जे के अभाव मे रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नी की जा सकती है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 14.03.2022 खारिज किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। धारा 212 का मूल आवेदन विचारण न्यायालय में लम्बित है। जिसका निस्तारण विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। धारा 212 का मूल आवेदन विचारण न्यायालय में लम्बित है। जिसका निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उनके समक्ष लम्बित आवेदन धारा 212 पर उभयपक्ष को सुनकर अन्तिम निस्तारण आगामी दो माह में किया जाना सुनिश्चित करे। तब तक उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.12.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6-11-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर